RMoL
Rajasthan Mission on Skill and Livelihoods

राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन
लघु अवधि दक्षता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम
परिचय

1. उद्देश्य एवं रूपरेखा

राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन द्वारा प्रायोजित लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों में कौशल विकसित करना है ताकि प्रशिक्षण के उपरान्त वे स्वरोजगार प्रारम्भ करने अथवा रोजगार प्राप्त करने हेतु आत्मविश्वास के साथ प्रेरित हो सकें। अतः प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों से अपेक्षा है कि वे समुचित संख्या में संशोधन (मशीन, उपकरण आदि) तथा मुख्य एवं सहयोगी प्रशिक्षकों की व्यवस्था कर प्रशिक्षणार्थियों को अधिकाधिक प्रायोगिक कार्य स्वंय हाथ से करने का अवसर प्रदान करें। प्रशिक्षण अवधि के लगभग 75 प्रतिशत समय का उपयोग प्रायोगिक कार्य एवं शेष 25 प्रतिशत का विषय से संबधित सैद्धांतिक जानकारी देने में करें। मिशन द्वारा पूर्व में तदर्थ रूप से चिन्हित किये गये 169 पाठ्यक्रमों के सबंध में विभिन्न स्त्रोंतों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर कुछ पाठयक्रमों को समायोजित कर तथा भारत सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास पहल के अंतर्गत चयनित पाठयक्रमों में से कुछ पाठयक्रमों को जोड़कर प्रशिक्षण अवधि के अनुसार 171 पाठयक्रमों को निम्न छः श्रेणियों में बांटा गया है:

क्र. स.	प्रशिक्षण अवधि	कार्यक्रमों की संख्या	विशेष टिप्पणी
1	40 कार्यदिवस/240 घण्टे	58	कार्य दिवसों की गणना 6 घंटे प्रतिदिन प्रशिक्षण के अनुसार की गई है। गैर आवासीय कार्यक्रमों में यदि प्रशिक्षण समय (न्यूनतम) 4 घंटे प्रतिदिन रखा जाता है, तो कार्य दिवसों की संख्या उसी हिसाब से बढ़ेगी। इसी तरह आवासीय कार्यक्रमों के लिये कार्य दिवसों की गणना 8 घंटे प्रतिदिन के आधार पर की गई है। आवासीय कार्यक्रमों में 8 घंटे प्रतिदिन का प्रशिक्षण देना आवश्यक है।
2	50 कार्यदिवस/300 घण्टे	46	
3	60 कार्यदिवस/360 घण्टे	20	
4	70 कार्यदिवस/420 घण्टे	12	
5	80 कार्यदिवस/48 घण्टे	24	
6	90 कार्यदिवस/540 घण्टे	11	
	कुल कार्यक्रम	171	

जिन पाठयक्रमों में सिर्फ रोजगार (नौकरी) की संभावना है उन पाठयक्रमों में संबधित यथोचित सैद्धांतिक जानकारी एवं प्रायोगिक विषय–वस्तु पर जोर दिया जाना अपेक्षित है। शेष पाठयक्रम जो स्व–रोजगारोन्मुखी भी हैं उनकी विषय वस्तु में उद्यमिता एवं व्यवसाय प्रबन्धन (EDP) सम्बन्धी विषयों का समावेश भी किया गया है। उद्यमिता एवं व्यवसाय प्रबन्धन की चार दिवसों व व्यवहार कुशलता (Soft Skills) की दस दिवसीय विषय वस्तु मिशन द्वारा प्रशिक्षण प्रदाताओं को उपलब्ध करायी जाती है। अधिकांश पाठयक्रम तैयार कर लिये गये हैं। कुछ पाठयक्रमों की विषय वस्तु निर्माण की प्रक्रिया में हैं, जो तैयार होने पर स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार उपलब्ध करायी जा सकेगी।

2. **प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन हेतु सामान्य जानकारीयाँ व दिशा निर्देश**

(1) **प्रशिक्षणार्थी की पात्रताः**

(अ) **आयुः** 16–35 वर्ष। प्रशिक्षण हेतु यथा संभव आस पास के गाँवों /क्षेत्रों से ऐसे युवाओं का चयन किया जाना चाहिए जो कि निर्धारित प्रशिक्षण विषय क्षेत्र में आजीविका हेतु कार्य करने के इच्छुक हों। प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान के प्रधान अधिकतम 4 प्रशिक्षणार्थियों को आयु में शिथिलता देने के लिए अधिकृत है। इसके लिए संस्थान के प्रधान को उचित कारण लिखित में रिकार्ड करने होगें।

(ब) **शैक्षणिक योग्यताः** राज्य के बेरोजगार एवं कम शिक्षित वर्ग के युवाओं को, जो कि संबधित प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, को चयन में स्थानीय स्तर पर प्राथमिकता दी जायेगी। प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान प्रधान अधिकतम 4 प्रशिक्षणार्थियों को शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता देने के लिए अधिकृत है। ये वो प्रशिक्षणार्थी हो सकते है जिनके पास प्रशिक्षण संबधित कार्यानुभव तो है परन्तु औपचारिक शिक्षा पाठक्रम के लिए निर्धारित शिक्षा से एक स्तर कम है। जैसे कक्षा 10 की जगह कक्षा 8 तथा कक्षा 8 की जगह कक्षा 5। किन्तु यह शिथिलता मल्टी स्किल सैक्टर के पाठ्यक्रमों में लागू नहीं होगी जिनमें शैक्षणिक योग्यता कक्षा 5 है।

नोटः— स्कूल अथवा कॉलेज के नियमित छात्रों का चयन प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नहीं किया जाये तथा यह भी ध्यान रखा जाये कि पूर्व में प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों को पुनः आजीविका मिशन के किसी अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नहीं लिया जावे।

(स) **प्रशिक्षणार्थियों की संख्याः** किसी भी कार्यक्रम को प्रारम्भ करने के लिए उचित होगा कि प्रारम्भ में 30 इच्छुक युवाओं का चयन किया जाए तथा उनमें से 25 प्रशिक्षणार्थियों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाए। इन प्रशिक्षणार्थियों में से यदि कोई प्रशिक्षणार्थी पहले सप्ताह में प्रशिक्षण को छोड़ते हैं या निरन्तर अनुपस्थित रहते हैं तो उनके स्थान पर बचे हुए पाँच चयनित युवाओं में से आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण में शामिल कर लिया जाऐं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिकतम 25 प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 18 से कम होने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। कुछ पाठयक्रमों के लिये प्रशिक्षणार्थियों की अधिकतम संख्या 16 तथा न्यूनतम 12 निर्धारित की गई है। ऐसे पाठयक्रमों को परिशिष्ट —ब में * से चिन्हित किया गया है।

(द) **प्रशिक्षण प्रतिभागिता शुल्कः** प्रशिक्षणार्थियों से निम्नानुसार प्रतिभागिता शुल्क प्रशिक्षण संस्थान द्वारा लिया जाएगा। यह शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।

टेबल—2

क्र.सं.	वर्ग	शुल्क
1	सामान्य वर्ग	400 रू.
2	अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक गरीबी रेखा से नीचे (बी. पी. एल.) महिला तथा निः शक्तजन	200 रू.

(य) **टूलकिटः** यदि आवंटित प्रशिक्षण कार्यक्रम में टूलकिट देने का प्रावधान किया गया है तो टूलकिट की कुल लागत का दो तिहाई अथवा अधिकतम रूपये 1000/— जो भी कम हो, की सहायता राशि का वहन राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन द्वारा निर्धारित बजट में किया जाएगा व शेष राशि प्रशिक्षणार्थी द्वारा स्वेच्छा से वहन की जाएगी।

(र) **सैद्धान्तिक व प्रायोगिक कक्षाओं के पश्चात कार्यस्थल पर प्रशिक्षण** : कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों में OJT का प्रावधान है। ऐसे कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान प्रायोगिक विषय–वस्तु से सम्बन्धित 4–6 ऐसे योग्य प्रतिष्ठानों की पहचान करें जिनमें अधिकतम 5 प्रशिक्षणार्थी प्रति प्रतिष्ठान OJT हेतु भेजे जा सकें। यह प्रशिक्षण निर्धारित 30 दिवस का होगा। प्रशिक्षण समय प्रतिदिन 4 घंटे से अधिक होगा।

इच्छुक प्रशिक्षणार्थीगण वांछित पाठयक्रम के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिये निर्धारित प्रपत्र में चयनित प्रशिक्षण प्रदाताओं को आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। प्रशिक्षण प्रदाताओं एवं पाठयक्रम की सूची हेतु मिशन की वेबसाईट www.rajasthanlivelihoods.org का अवलोकन करें।

अन्य विशेष जानकारी एवं परामर्श हेतु सम्पर्क करें।

कार्यक्रम प्रायोजक
राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन
ई.एम.आई. कैम्पस, जे–8 ए, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004
फोन : 0141–5103246ए 5103247, 2705817
ईमेलः **info@rajasthanlivelihoods.org**
वेबसाईटः**www.rajasthanlivelihoods.org**

नोडल एजेन्सी
उद्यमिता एवं प्रबन्ध विकास संस्थान
जे–8ए, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–32004
फोनः 0141–2705541, 2705542, 5113008
ईमेलः **emi_jaipur@emiindia.org**
वेबसाईटः **www.emiindia.org**